भारतीय भाषा में हाई कोर्ट की वकालत

न्याय को भाषाई-आजादी दिलाने की सिद्धि

अनूप बरनवाल देशबंधु

भारतीय भाषा में
हाई कोर्ट की वकालत
न्याय को भाषाई-आजादी दिलाने की सिद्धि

अनूप बरनवाल देशबंधु
विधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज

लोक सर्वोदय फाउण्डेशन
प्रयागराज

© अनूप बरनवाल देशबन्धु

Copyright Reg. No. L-130185/2023

प्रथम संस्करण : 2023

निःशुल्क

प्रोत्साहन सहयोग हेतु :
Ac. No. : 1500050012430; Lok Sarvodaya Foundation
IFSC : PUNB0150020; Punjab National Bank, Prayagraj

प्रकाशक
लोक सर्वोदय फाउण्डेशन, प्रयागराज
वेब : www.rashtriyaswaraj.org
ई मेल : rsp.bharat2015@gmail.com

Bharatiya Bhasha Mein High Court Ki Vakalat: Nyaya Ko Bhashayee-Ajaadi Dilane Ki Siddhi by Anoop Deshbandhu

भारत रत्न

पुरुषोत्तम दास टण्डन

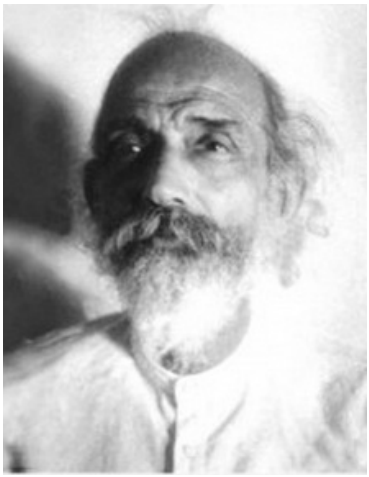

को समर्पित

अनुक्रमणिका

भूमिका 9

1. न्याय की भाषा

अंग्रेजी या लोक-भाषा 14

'भारतम' के रूप में हिन्दी: भाषाई एकता की बुनियाद 21

2. उच्च न्यायालय में हिन्दी

1. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान 24
2. राजभाषा कानून: संवैधानिक लक्ष्य के खिलाफ 25
3. उच्च न्यायालयों में भाषा संबंधी व्यवस्था 25

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
पटना उच्च न्यायालय
झारखण्ड उच्च न्यायालय: हिन्दी प्रयोग की छूट देने की पहल

4. हिन्दी भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रमुख निर्णय 29

सुप्रीम कोर्ट एवं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय
इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय
राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय
पटना हाई कोर्ट के निर्णय

5. माननीय न्यायाधीशों का योगदान 36
6. विधिवक्ताओं के अविस्मरणीय प्रयास 37
7. हिन्दी में वकालत के सुखद अनुभव 39
8. हम विधिवक्ताओं की जिम्मेदारी 41

3. हाई कोर्ट के मुकदमों की तैयारी

1. सामान्य 42

1.1 मसौदा तैयारी में हिन्दी शब्दों को लेकर आ रही समस्या
1.2 इन दि हाई कोर्ट आफ जूडिकेचर एट इलाहाबाद : हिन्दी में क्या?
1.3 शपथपत्र हेतु हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्द एवं वाक्य
1.4 भिन्न-भिन्न प्रार्थनापत्र के लिए हिन्दी शब्द

2. रिट याचिका 48
2.1 परिचय
2.2 रिट का हिन्दी अनुवाद
2.3 सिविल रिट याचिका के प्रारूप (फार्मेट) संबंधी मूलभूत बातें
2.4 जनहित याचिका के प्रारूप के लिए विशेष पैरा

3. सिविल न्यायिक निरीक्षण याचिका (अं/अनुच्छेद 227) 53
3.1 परिचय
3.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

4. विशेष अपील 54
4.1 परिचय
4.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

5. द्वितीय अपील 56
5.1 परिचय
5.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

6. प्रथम अपील 58
6.1 परिचय
6.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

7. आदेश विरुद्ध प्रथम अपील (एफ. ए. एफ. ओ.) 59
7.1 परिचय
7.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

8. सिविल निगरानी 61
8.1 परिचय
8.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें

9. चुनाव याचिका 63
9.1 परिचय
9.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
10. वसीयतीय वाद 65
10.1 परिचय
10.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
11. स्थानांतरण प्रार्थनापत्र 66
11.1 परिचय
11.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
12. आपराधिक रिट याचिका 68
12.1 परिचय
12.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
13. जमानत प्रार्थनापत्र 69
13.1 परिचय
13.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
14. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र 71
14.1 परिचय
14.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
15. आपराधिक प्रार्थनापत्र अ/धा 482 72
15.1 परिचय
15.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
16. आपराधिक अपील 74
16.1 परिचय
16.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
17. आपराधिक निगरानी 75
17.1 परिचय
17.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
18. आपराधिक न्यायिक निरीक्षण याचिका (अ/अ 227) 77
18.1 परिचय
18.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
19. अवमानना याचिका 78

19.1 परिचय
19.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
20. अवमानना अपील 80
20.1 परिचय
20.2 प्रारूप तैयार करने संबंधी मूलभूत बातें
4. आग्रह 82
5. अलग-अलग मुकदमों के मसौदे
परिशिष्ट 1 : रिट याचिका (सेवा संबंधी मामला) का प्रारूप 84
परिशिष्ट 2 : रिट याचिका (सामान्य दिशानिर्देश हेतु मामला) का प्रारूप 92
परिशिष्ट 3 : अवमानना याचिका का प्रारूप 98
परिशिष्ट 4 : द्वितीय अपील का प्रारूप 105
परिशिष्ट 5 : जमानत प्रार्थना पत्र का प्रारूप 109
परिशिष्ट 6 : प्रार्थनापत्र अ/धा 482 का प्रारूप 121
परिशिष्ट 7 : आपराधिक अपील का प्रारूप 132
परिशिष्ट 8 : आपराधिक निगरानी का प्रारूप 135
परिशिष्ट 9 : स्थानांनरण प्रार्थनापत्र का प्रारूप 147
परिशिष्ट 10: अनुक्रमणिका (Index) का प्रारूप 156
परिशिष्ट 11: तिथिवार घटनाएँ (Date and Events) का प्रारूप 157
परिशिष्ट 12: किसी मामले में दाखिल होने वाले 'अंतरिम प्रार्थनापत्र' का प्रारूप 158
परिशिष्ट 13: किसी मामले में दाखिल होने वाले एक 'प्रार्थनापत्र' का प्रारूप 160
परिशिष्ट 14: अलग-अलग प्रार्थनापत्र हेतु किए जाने वाले 'प्रार्थना' का प्रारूप 164
- आदेश-संशोधन Correction प्रार्थनापत्र
- पुनर्स्थापन (Restoration) प्रार्थनापत्र
- पक्षकार-प्रतिस्थापन (Substitution) प्रार्थनापत्र
- स्थगन विस्तार (Stay Extension) प्रार्थनापत्र
- विलंब माफी (Delay Condonation) प्रार्थनापत्र
- सूचीकरण (Listing) प्रार्थनापत्र

परिशिष्ट 15: शपथपत्र (Affidavit) का प्रारूप 166
परिशिष्ट 16: उत्तर शपथपत्र (Counter Affidavit) का प्रारूप 168
परिशिष्ट 17: प्रत्युत्तर शपथपत्र (Rejoinder Affidavit) का प्रारूप 173
परिशिष्ट 18: पूरक शपथपत्र (Supplementary Affidavit) का प्रारूप 177
परिशिष्ट 19: कैविएट प्रार्थनापत्र का प्रारूप 180

लेखक के बारे में 183

भूमिका:
न्याय-व्यवस्था का भाषाई भारतीयकरण

महान कानूनविद् एवं राजनीतिज्ञ पुरुषोत्तम दास टण्डन ने संविधान सभा के समक्ष भाषा संबंधी प्रावधान पर बहस के दौरान संकल्प व्यक्त किया था कि 'पाँच वर्ष बीतते-बीतते हिन्दी-राज्यों के उच्च न्यायालय पूरी तरह हिन्दी में काम करना आरंभ कर देंगे।' पाँच वर्ष की यह अवधि बीते 68 वर्ष हो गए, किंतु आज भी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के महिमामण्डन के अधीन अपना कर्मजीवन जीने के आदती-सा हो गए हैं और इस तरह कि पता ही नहीं चलता है कि हम न्यायिक कार्यों को लेकर अपनी ही मातृभाषा/मातृभूमि-भाषा के प्रति हीनभावना भी रखने लगे हैं।

कानून का एक छात्र जब उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए आता है, तो आज भी उसे यही बताया जाता है कि बिना अंग्रेजी भाषा के वह वकालत नहीं कर सकता है। उसे अंग्रेजी में मुकदमा तैयार करना होगा, अंग्रेजी में ही बहस करना होगा, अंग्रेजी में निर्णय पढ़ने को मिलेंगे, अंग्रेजी में ही पुस्तक एवं जर्नल भी पढ़ने को मिलेंगे, इत्यादि-इत्यादि। इसके कारण वह न केवल अंग्रेजी भाषा में कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बल्कि हाई कोर्ट में आकर अंग्रेजी भाषा में मुकदमा तैयार करने और बहस करने के लिए मजबूर रहता है।

वर्ष 1998 में जब लेखक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने आया, तो यहां मिले अंग्रेजी माहौल के कारण उसे भी अंग्रेजी भाषा में मुकदमे लिखवाना और बहस करना आसान-सा लगने लगा। अपनी मातृभाषा में वकालत करना कैसा होता है, आसान होता है या कठिन, यह सब महसूस करने का अवसर ही नहीं मिला। कभी-कभी अपनी मातृभाषा हिन्दी में मुकदमा तैयार करने की इच्छा हुई, किन्तु मजाक का पात्र बन जाने के भय से हिचकिचाहट बना रहा। एक तरह से अपनी मातृभाषा को लेकर हीनभावना का शिकार हो जाने की स्थिति थी। इस भाषाई हिचक एवं

हीनता से बाहर निकलने का मनोबल पहली बार तब मिला, जब 14 फरवरी 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के समक्ष एक मामले में बहस के दौरान माननीय न्यायाधीश ने लेखक को हिन्दी भाषा में मुकदमा दाखिल करने का सुझाव दिया। लेखक ने भी माननीय न्यायाधीश से इसके लिए प्रयास करने का वादा किया। उस पल एक झटके में किए गए इस वादे से लेखक हमेशा नैतिक रूप से बँधा महसूस करता है। इस नैतिक बाध्यता के अधीन लेखक ने तभी से हिन्दी भाषा में मुकदमा दाखिल करना आरंभ किया।

अपनी मातृभाषा को लेकर उपजी भाषाई-हीनता को समाप्त करने और हिन्दी भाषा में मुकदमा दाखिला करने का आत्मबल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार से भी मिला, जिसे उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के 11वें संयुक्त सम्मेलन (30 अप्रैल 2022) के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किया था। श्री नरेन्द्र मोदी ने शास्त्रवचन 'न्यायमूलं सुराजं स्यात्' का उल्लेख करते हुए कहा— 'किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानविकी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश मे कोई फर्क नहीं होता है।... एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वह उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा।... सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की ही जरूरत नहीं होती है, सामाजिक न्याय के लिए भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है।'

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही अंग्रेजी में होते रहने वाली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता व्यक्त करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण पर जोर देते हुए कहा— 'उच्च न्यायालयों के कामकाज में स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के लिए कई प्रत्यावेदन आए हैं। इन मांगों पर विचार करने और तार्किक निर्णय लेने का अब समय आ गया है। संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष वकालत एक व्यक्ति की

बौद्धिकता और कानूनी समझ पर आधारित होना चाहिए, न कि मात्र उसके भाषाई प्रवीणता पर।'

इस कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण पल तब आया जब लेखक शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित 'भारतीय भाषा समिति' के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला (दिल्ली, 14 अक्टूबर 2022) में श्री अशोक मेहता की पहल पर शामिल होने का अवसर मिला। श्री अतुल कोठारी एवं श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व और श्री जेपी सिंह के संयोजकत्व में आयोजित इस कार्यशाला में भारतीय भाषा में कार्य कर रहे देशभर के विधिवेत्ता और विधि विश्वविद्यालय/संकाय के प्राध्यापक शामिल थे। इस कार्यशाला में भारतीय भाषा को वकालत की भाषा बनाने पर हुई चर्चा के दौरान लेखक ने यह पुस्तक लिखने का वादा किया।

5 नवम्बर, 1948 को पहली बार हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की माँग किया गया था। वर्ष 2022 के इसी तिथि को 'राष्ट्रभाषा दिवस' मनाते हुए यह पुस्तक लिखना आरंभ किया। पुस्तक 'भारतीय संविधान की निर्माण यात्रा' के कारण इस पुस्तक में कुछ विलंब हुआ। फिर भी सक्रिय वकालत में रहते हुए इस पुस्तक का पूर्ण होना लेखक के लिए संतोष की बात है।

इस पुस्तक के पहले अध्याय में राष्ट्रभाषा के महत्त्व और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को विमर्श का विषय बनाया गया है। इसके दूसरे अध्याय में उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा में कामकाज से संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी प्रगति पर और हिन्दी भाषा के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा किया गया है। पुस्तक के तीसरे अध्याय में हिन्दी भाषा में मुकदमों का मसौदा तैयार करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा किया गया है। पुस्तक में इसका विशेष ध्यान दिया गया है कि एक नवागन्तुक विधिवक्ता को उच्च न्यायालय के मुकदमों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिले। पुस्तक के अंत में कुछ मुकदमों के मसौदे को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। ये मसौदे लेखक द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हिन्दी भाषा में दाखिल मुकदमों पर आधारित हैं। इन्हें पढ़ने के बाद समझा जा सकता है कि हिन्दी में वकालत करना उसी तरह आसान है, जैसा अंग्रेजी में है।

हिन्दी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठा, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी जैसी भारतीय भाषाओं में वकालत करना, माँ की तरह अपनी मातृ-भाषा एवं मातृभूमि-भाषा का सम्मान करना है। इसे

लेकर किसी तरह की हीनभावना रखना अनुचित एवं अमान्य है। 25 वर्ष की वकालत में अंतिम अठारह महीनों के दौरान हिन्दी भाषा में किए गए वकालत से प्राप्त अनुभव के आधार पर लेखक कह सकता है कि उच्च न्यायालय के स्तर पर भी भारतीय भाषा में मुकदमों की तैयारी करना और वकालत करना आसान है। जनमानस को उसके समझयोग्य भाषा में न्याय मिले और न्याय को भाषाई आजादी मिले, इस दिशा में ईमानदारी से कार्य करना हम सभी की समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और संविधान के प्रति जवाबदेही है। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने और संकल्पित होने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय के स्तर पर भाषाई आजादी पाने का यह संकल्प, उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को भी अंग्रेजी से मुक्त कराकर संपूर्ण न्याय-व्यवस्था का भाषाई भारतीयकरण करने, और भाषाई एकता एवं भाषाई साम्यता को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके लिए हमारे संविधान-निर्माताओं ने सपना देखा था।

विश्वास है कि यह पुस्तक, देश के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायिक कामकाज में भारतीय भाषाओं को स्थापित करने में सफल होगा और संपूर्ण न्याय-व्यवस्था का भाषाई भारतीयकरण करने, और न्याय को भाषाई आजादी दिलाने और इसे सूराजमूलक एवं सामाजिक न्याय के अनुकूल बनाने की सिद्धि प्राप्त करने हेतु संकल्पवान होने में मदद करेगा।

05 नवंबर, 2023 **– अनूप देशबंधु**

1.
न्याय की भाषा

किसी देश के निर्माण में उसकी भाषा का बहुत महत्त्व होता है। यह न केवल देश की सांस्कृतिक एकता और भौगोलिक अखण्डता की दृष्टि से, बल्कि अन्तिम व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। इसके बावजूद कि भारत देश, भाषा के मामले में विश्व का सबसे समृद्धशाली देश रहा है, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजी जैसी एक गैर भारतीय भाषा को सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थाओं की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया और इसे संरक्षण दिया गया। इसके कारण एक तरफ जहाँ कुछ मुठ्ठी भर लोग पूरी व्यवस्था पर वर्चस्व बना लिए, वहीं बहुसंख्य भारतीय समाज अपनी अंग्रेजी-अनभिज्ञता के कारण इस व्यवस्था से दूर और नैसर्गिक विकास से वंचित हो गया।

ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलने के बाद आज भी अंग्रेजी, भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालयों में पूरे ठाट-बात के साथ अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है या नहीं, इसपर चर्चा करना आवश्यक है।

अंग्रेजी या लोक-भाषा

'न्याय लोक-भाषा में ही होना चाहिए', वैश्विक स्तर पर मान्य यह विचार किसी भी तरह के विवाद से परे है। किन्तु भारत में न्याय की भाषा को लेकर एक अलग विचार गढ़ने का प्रयास किया गया और आजादी के 75 वर्ष बाद आज भी यह, कुछ अपवादों को छोड़कर, अनवरत जारी है। यहाँ आज भी यह बहस प्रासंगिक बना हुआ है कि न्याय की धारा 2-3 प्रतिशत लोगों की अंग्रेजी भाषा में प्रवाहित होना चाहिए या 97-98 प्रतिशत लोगों की लोक-भाषा में। यह तब भी है जब इतने सालों बाद आज भी अंग्रेजी लोक-भाषा का स्थान नहीं बना पाई है। लोक-भाषा नहीं होने के बावजूद न्यायपालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व होना इसके सामन्ती प्रवृत्ति को

दर्शाता है, जिसका उल्लेख करते हुए महान समाजवादी चिन्तक डॉ. राममनोहर लोहिया कहते हैं—

> 'अंग्रेजी हिन्दुस्तान को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा रही है कि वह विदेशी है, बल्कि इसलिए कि भारतीय प्रसंग में वह सामन्ती है। आबादी का सिर्फ एक प्रतिशत छोटा-सा अल्पतम ही अंग्रेजी में ऐसी योग्यता हासिल कर पाता है कि वह उसे सत्ता या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। इस छोटे से अल्पमत के हाथ में विशाल जन-समुदाय पर अधिकार और शोषण करने का हथियार है अंग्रेजी।... दुनिया में सिर्फ हिन्दुस्तान ही एक ऐसा सभ्य देश है, यह मान कर कि हम सभ्य हैं, जिसके जीवन का पुराना ढर्रा खत्म नहीं होना चाहता जो अपनी विधायिकाएँ, अदालतें, प्रयोगशालाएँ, कारखानें, तार, रेलवे और लगभग सभी सरकारी और दूसरे सार्वजनिक काम उस भाषा में करता है, जिसकी 99 प्रतिशत लोग समझते तक नहीं। वास्तव में, दुनिया में और कोई ऐसा सभ्य अथवा असभ्य देश नहीं है, जो ऐसा करता है। हिन्दुस्तान को छोड़कर, अपने सार्वजनिक कार्य के लिए किसी भी देश ने अंग्रेजी को अपनाया है, वह तभी जब कि उसकी भाषाएं प्रायः समाप्त हो गयी हों और चाहे जितनी मिश्रित रूप में ही क्यों न हो, अंग्रेजी उनके बोल-चाल की भाषा बन गई हो।'[1]

आजादी के 75 वर्ष बाद आज जब यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी, भारत में लोक-भाषा का स्थान नहीं ले पाई है, और इस कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्तर के न्यायालयों से इसे हटाया जाना आवश्यक है, तो एक स्वाभाविक सवाल निकलकर आता है कि इन न्यायालयों के सन्दर्भ में कौन-सी लोक-भाषा अंग्रेजी का स्थान ले सकती है। इस दृष्टि से देश के लिए किसी एक लोक-भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है। किसी भाषा को भारत जैसे देश की राष्ट्रभाषा होने के लिए इनमें किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, इसका जवाब देते हुए महात्मा गाँधी निम्न पाँच विशेषता बताते हैं—

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होना चाहिए।
2. उस भाषा के माध्यम से भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।

---

[1] लोहिया के विचार : लोकभारती प्रकाशन; पृष्ठ सं. 135

3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत-से लोग उस भाषा को बोलते हों।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होना चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

उक्त पाँच विशेषता बताने के बाद महात्मा गाँधी निष्कर्ष निकालते हैं कि अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं हैं। सवाल-जवाब करते हुए गाँधी जी आगे कहते हैं— 'तो फिर किस भाषा में ये पाँच विशेषता मिलते हैं। हमें यह कबूल कर ही लेना होगा कि हिन्दी भाषा में ये सभी विशेषताएँ मौजूद हैं।'

महात्मा गाँधी के उक्त विचार इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी मातृभाषा हिन्दी नहीं, बल्कि गुजराती थी। इसलिए राष्ट्रभाषा के सवाल पर उनके विचार बिलकुल निष्पक्ष हैं। दूसरी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित किए जाने की क्या गुंजाइश हो सकती है, इसकी भी जाँच-पड़ताल करते हुए महात्मा गाँधी कहते हैं कि ये पाँच विशेषता धारण करने में हिन्दी की होड़ करनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिन्दी के बाद का स्थान बँगला को प्राप्त है। तिस पर भी बंगाली भाई बंगाल के बाहर तो हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाला जहाँ जाता है, वहाँ हिन्दी का ही उपयोग करता है और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होता। हिन्दी बोलनेवाले धर्म-प्रचारक और उर्दू के मौलवी संपूर्ण हिन्दुस्तान में अपनी व्याख्यान हिन्दी में ही देते हैं और अनपढ़ जनता भी उसे समझ लेती है। अनपढ़ गुजराती भी उत्तर भारत में जाकर हिन्दी का थोड़ा-बहुत इस्तेमाल कर लेता है, जबकि उत्तर का भैया बम्बई के सेठ की दरबानगिरी करता हुआ भी गुजराती बोलने से इनकार करता है और सेठ भैया के साथ टूटी-फूटी हिन्दी में बोलना शुरू कर देता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तों में भी हिन्दी की ध्वनि सुनायी पड़ती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रास में तो सब काम अंग्रेजी से चलता है। मैंने तो वहाँ भी अपना काम हिन्दी में किया है। सैकड़ों मद्रासी मुसाफिरों को मैंने दूसरे लोगों के साथ हिन्दी में बोलते सुना है।.. इस प्रकार राष्ट्रीय भाषा के नाते हिन्दी भाषा का निर्माण हो चुका है।[2] .....

---

[2] हिन्दी नवजीवन, 15-12-1927

शीघ्र प्रकाशित होकर
आप सभी को उपलब्ध होगी।

आग्रह

भारत में हिन्दी के अलावा कई अन्य समृद्ध भाषाएं हैं, जो अलग-अलग राज्यों में प्रयोग की जाती हैं। गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालय में संबंधित क्षेत्रीय भाषा में कामकाज होना उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा में कामकाज होना महत्त्वपूर्ण है। अलग-अलग उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषा को कामकाज की भाषा बनाने के लिए वहां के माननीय न्यायाधीशों और विधिवक्ताओं द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। प्रेरणा के लिए इन प्रयासों को लोगों के बीच लाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से पुस्तक के इस हिन्दी संस्करण में दूसरे हिन्दी-भाषी उच्च न्यायालयों जैसे पटना उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में हिन्दी में किए गए कार्य के लिए नया अध्याय जोड़ने की आवश्यकता है। इसी तरह इस पुस्तक के अन्य संस्करणों जैसे — तमिल संस्करण, तेलुगू संस्करण, मलयालम संस्करण, कन्नड़ संस्करण, बंगाली संस्करण, असमिया संस्करण, उड़िया संस्करण, मराठा संस्करण, गुजराती संस्करण, पंजाबी संस्करण, कश्मीरी संस्करण को भी तैयार करने का लक्ष्य है। इसके लिए आप सभी की सहभागिता अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है।

इस पुस्तक के अन्त में अलग-अलग प्रकृति के कुछ मुकदमों के मसौदों को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। परिशिष्टों की यह श्रृंखला पूर्ण नहीं हैं। इनके साथ और भी मसौदों को संलग्न करने की हमेशा आवश्यकता बना रहेगा। यदि आपके पास भी ऐसा कोई हिन्दी भाषा में तैयार अलग तरह के मुकदमे का आदर्श मसौदा है, तो वे इस परिशिष्ट का हिस्सा बनकर पुस्तक के अद्यतन संस्करण में शामिल हो सकते हैं।

- अनूप देशबंधु
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
व्हाट्सैप — 9415215383
Email –
anoop.deshbandhu@gmail.com